आरएनआई पंजीयन RAJHIN/2016/72902

डाक पंजीयन RJ/ UD/ 29-150/ 2020-2022

शब्द रंजन

संस्थापक एवं संरक्षक डॉ. महेन्द्र भानावत

विचार एवं जनसंवाद का पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 19 | उदयपुर गुरूवार 15 अक्टूबर 2020 | पेज 8 | मूल्य 5 रू.

आदिम युगीन भाषायी संकेत

– मूलचंद 'प्राणेश' –

श्री 'प्राणेश' बीकानेर की भारतीय विद्या मन्दिर शोध प्रतिष्ठान नामक संस्था में शोध अधिकारी थे तब डॉ. महेन्द्र भानावत से 1954–58 के दौरान उनका गहरा जुड़ाव रहा। डॉ. भानावत ने बताया कि बाद में जब भी उनका बीकानेर जाना हुआ तब उनसे भेंट होती रही। उधर के क्षेत्रों में घूमकर पशुओं में पहचान के लिए जो दग्ध चिन्ह लगाये जाते हैं उन पर 'पशुचिन्ह गोड़लिया' शीर्षक से उन्होंने एक लेख धर्मयुग में लिखा और संभावना व्यक्त की कि ये चिन्ह ब्राह्मी लिपि के प्रतीक से हैं। तब डॉ. भानावत के कहने से प्राणेशजी ने उनसे आदिम युगीन भाषायी संकेतों पर विस्तार से बातचीत की। आज प्राणेशजी हमारे बीच नहीं हैं किन्तु लोक के प्रति उनकी समर्पित दृष्टि ही रही कि उन्होंने 'राजस्थान का लोकसाहित्य' जैसी कृति दी। उनकी उत्कृष्ट याद का यह लेख डॉ. भानावत के संग्रह से प्रकाशित किया जा रहा है जो उनके प्रति सादर श्रद्धांजलि है।

इस भूतल पर मानव एवं अन्य जीव-जन्तुओं का विकास समान रूप से हुआ है। मानव अपने संग्राहक बुद्धि-बल के द्वारा अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ तथा उनका स्वामी बन गया। उसने अपनी सुख-सुविधा की दृष्टि से वन्य-प्राणियों को पालतू बनाना प्रारम्भ किया।

उस समय मानव के पास भाषा नहीं थी, वह केवल थोड़े-बहुत संकेतों द्वारा अपना काम चलाता था। पशुओं के साथ भी वह उन संकेतों का ही व्यवहार करता था। विकासमान मानव संकेतों से आगे बढ़ता हुआ भाषायीज्ञान का अधिकारी बन गया परन्तु अविकसित बुद्धि वाले प्राणी उन संकेतों से आगे नहीं बढ़ सके। मानव आज भी पशुओं के साथ उन्हीं आदिम युगीन भाषायी संकेतों का व्यवहार करता है। यहां उसी प्रकार के कतिपय संकेतों पर प्रकाश डालने का यत्न किया जा रहा है।

(1) तुत्कारना :

कुत्ता मानव का सबसे पुराना मित्र एवं वफादार प्राणी है। इसको बुलाने के लिए प्रयुक्त

होने वाले संकेत को 'तुत्कारना' कहते हैं। जिव्हा को तालू से सटाकर तुच्च्-तुच्च् ध्वनि निकाली जाती है। कदाच् यह ध्वनि कुत्ते के पिल्ले के स्तनपान करने की ध्वनि से साम्य रखती है। इस ध्वनि-संकेत को सुनकर दूर बैठा हुआ कुत्ता भी संकेतकर्त्ता के समीप पहुंच जाता है।

(2) बुचकारना :

बुचकारना अथवा पुचकारना भी एक विशेष ध्वनि-संकेत है। इसका व्यवहार प्रत्येक पशु के समक्ष प्यार प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि-संकेत दोनों ओष्ठों को मिलाकर बाहर की वायु को अन्दर की ओर खींचने से होता है। इससे बुच्च-बुच्च ध्वनि निकलती है जिसे सुनकर क्रोधावेश में आया हुआ पशु भी क्रोधवेश का परित्याग करके सामान्य बन जाता है और स्वयं भी हर्षातिरेक का अनुभव करने लगता है। पशुओं को ठहराने के लिए भी इसका प्रयोग होता है।

दुरकारना अथवा दुत्कारना का प्रयोग निकट आये हुए कुत्ते को दूर भगाने के लिए किया जाता है। यह दुर-दुर का ध्वनि-संकेत भी कोई अनुकरणीय ध्वनि-संकेत ही है, जिसे सुनकर कुत्ता भयभीत होकर दूर भाग जाता है। हो सकता है, यह ध्वनि-संकेत कुत्तों के आक्रमण करने के समय किये जाने वाली ध्वनि से साम्य रखता हो और आक्रमण के भय से कुत्ता भाग छूटता है।

(3) छिरकारना :

जिस प्रकार कुत्ते को दूर भगाने के लिए 'दुरकारना' का प्रयोग होता है, उसी प्रकार बिल्ली को दूर भगाने के लिए 'छिरकारना' का प्रयोग होता है। यह छिर-छिर ध्वनि-संकेत भी दो बिल्लियों के परस्पर लड़ने के समय किये जाने वाली ध्वनि से साम्य रखता है।

(4) टिचकारना :

टोरना अथवा टिचकारी देना यह ध्वनि-संकेत गाय, भैंस, ऊंट, बैल इत्यादि पशुओं को चलाने के लिए प्रयुक्त होता है। जिव्हा को

उलटकर तालू का स्पर्श करते हुए एक विशेष घर्षण द्वारा इस ध्वनि को प्रकट किया जाता है। टिच्च-टिच्च अथवा डिच्च-डिच्च ध्वनि-संकेत को सुनकर पशु चल पड़ता है। इसकी निरन्तरता बनाये रखने पर पशु और तेजी के साथ चलने लगता है। बुचकारना ध्वनि-संकेत से जहां प्यार प्रदर्शित किया जाता है वहां चलते हुए पशु को रोका भी जाता है।

(5) छैकारना :

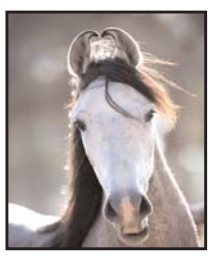

गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा इत्यादि पशुओं को पानी पिलाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के ध्वनि-संकेत काम में लिये जाते हैं। गाय को पानी पिलाने के लिए ले जाते समय छै:-छै: ध्वनि की जाती है जिसे सुनकर पशु पानी पीने के स्थान पर आ जाता है तथा जब तक पानी पीता रहता है, यह ध्वनि चालू रहती है। ऊंट को पानी पिलाते समय त्वक्-त्वक् की ध्वनि भी निकाली जाती है साथ ही मुंह से सीटी बजाने की सी ध्वनि भी निकाली जाती है जिससे पशु आकर पानी पी ले।

(6) झैकारना :

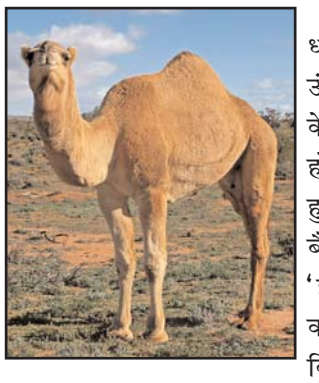

यह ध्वनि-संकेत ऊंट को बैठाने के लिए प्रयुक्त होता है। चलते हुए ऊंट को बैठाने हेतु 'झै:-झै:' शब्द का उच्चारण किया जाता है जिसे सुन ऊंट बैठ जाता है। बैठे हुए ऊंट पर सवारी करते समय भी 'झै:-झै:' शब्द किया जाता है ताकि सवारी करने तक ऊंट हिले-डूले बिना बैठा रहे।

(7) धत्कारना :

हाथी को बैठने के लिए जिस ध्वनि-संकेत को काम में लाया जाता है उसे 'धत्कारना'

कहते हैं। धत्-धत् शब्द संकेत सुनकर हाथी शनै:-शनै: बैठ जाता है।

गायों को सामूहिक रूप में चलाने के लिए 'धो:-धो:' अथवा 'ध्हो:-ध्हो:' ध्वनि-संकेत किया जाता है जिसे सुनकर सभी गायें एक दिशा में चलने लगती हैं।

बैठे हुए कौओं को उड़ाने के लिए दोनों हाथों की तर्जनियों को एक-दूसरे पर रख कर कौओं के सामने करते हुए मुंह से सीटी बजाने की ध्वनि निकालते हैं। इसे सुनकर कौए भाग खड़े होते हैं। यह ध्वनि-संकेत कदाच् धनुष से तीर चलाने का है। कौआ तीर से बहुत डरता है अत: वह उक्त मुद्रा देखकर उड़ जाता है। कहीं-कहीं पर कौए को उड़ाने के लिए तीर-तीर शब्द का प्रयोग भी किया जाता है।

(8) गेर गेर :

बन्दर जब किसी वस्तु को उठाकर ले जाता है, तब उससे वह वस्तु छुड़ाने के लिए 'गेर-गेर' शब्द का निरन्तर प्रयोग किया जाता है जिसे सुनकर बन्दर हाथों में पकड़ी वस्तु फैंक देता है।

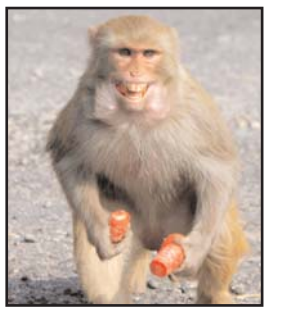

इसी प्रकार स्थान भेद से ध्वनि-संकेतों के अनेक रूप हो सकते हैं। ये ध्वनि-संकेत हमारे भाषायी ज्ञान से बहुत पहले के हैं और पशुओं के साथ मानवीय सम्बन्धों के पुराकालीन साक्षी हैं। प्रादेशिक विद्वानों को इस ओर ध्यान देकर अपने-अपने क्षेत्रीय ध्वनि-संकेतों को प्रकाश में लाना चाहिये ताकि भविष्य में सामूहिक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त बन सके।

शब्द रंजन के लिए सहयोग करें

संरक्षक	11000/
विशिष्ट सदस्य	5000/
आजीवन सदस्य	3000/
शब्दरंजन के सहयात्री	1000/
साहित्यिक चौपाल	500/
वार्षिक संस्थागत	300/
वार्षिक व्यक्तिगत	250/

शब्दरंजन में विज्ञापन सहयोग कर अपने इस पत्र को और अधिक रंगदार, रूपवान तथा समाज विकास का अग्रणी प्रतिनिधि पत्र बनायें।

(**Shabd Ranjan**, UCO BANK, Bhupalpura Branch, Udaipur, a/c no. 18450210000908, IFSC no. UCBA0001845, a/c type- Current a/c)

सुविधा और प्राप्ति के लिए कृपया रचनाएं व समाचार ई-मेल से भेजे।

shabdranjanudr@gmail.com

NUVOCO®
Shaping a new world

आइए मिलकर हम सब सुरक्षित,
साक्षर, संरक्षित एवं हरे-भरे राजस्थान
के निर्माण में सहयोग करें।

हमारी 35 से भी अधिक उत्पाद श्रेणियों में से चयन करें:

Cement | Modern Building Materials | Ready Mix Concrete

CONCREYO® DURAGUARD® ZERO M® Artiste® InstaMix®

स्मृतियों के शिखर (109) : डॉ. महेन्द्र भानावत

विनयपूर्ण लेखन की उपासिका डॉ. विद्याविन्दुसिंह

डॉ. विद्याविन्दुसिंह से मेरा परिचय सत्तर के दशक के प्रारम्भ में हुआ जब मैं भारतीय लोककला मण्डल में था। वहां से 'रंगायन' नामक मासिक पत्रिका भी हमने शुरू कर दी थी। हम लोग ऐसे लेखकों से सम्पर्क बनाकर कला मण्डल से उन्हें जोड़ना चाहते थे जो अपनी रसवन्ती लेखनी से लोककला, लोकसाहित्य तथा लोकसंस्कृतिपरक नव्य-भव्य समझ-दृष्टि से अपने-अपने क्षेत्र की पारम्परिक विरासत को समृद्धतर बनाते भारती भण्डार का बून्द-समुन्द भर रहे थे।

इनमें पूना की मालती शर्मा, पटना की उषा वर्मा, लखनऊ की विद्याविन्दुसिंह, भोपाल के बसन्त निरगुणे, मनासा के डॉ. पूरन सहगल से जो परिचय हुआ वह अब तक अनवरत बहता पानी निर्मला बना हुआ है हालांकि मालतीजी का निधन हमारे लिए अब स्मृति शेष बन गया है।

डॉ. विद्याविन्दुसिंह अपनी रचनाधर्मिता में हर समय गम्भीरता के साथ सक्रिय हैं। उसी का पुण्य है कि उन्होंने धनाधन साहित्य की सभी विधाओं- उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबन्ध तथा लोक साहित्य में जो कृतियां दीं वे अच्छों-अच्छों की आंखें बड़ी कर सुख देने वाली हैं।

उन पर लखनऊ, कानपुर, पूना, गढ़वाल, श्रीनगर, चैन्नई आदि विश्वविद्यालयों में शोधकार्य के साथ-साथ विद्वानों द्वारा उनके प्रकाशनों का मराठी, मलयालम, कश्मीरी, तेलगू, बांग्ला, उड़िया तथा अंग्रेजी, जापानी में अनुवाद भी दांतों तले अंगुली दबाने वाला है। अपनी मातृभाषा अवधी को उन्होंने लगातार स्मरण करते अपनी कलम-कमलिनी को साधा है तब स्वाभाविक है पुरस्कारों ने भी उन्हें पाकर अपने को आभामण्डित किया है।

लखनऊ के उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान में उनका सेवाकाल उनके भाग्यांकन का ही शिखर ध्वज बना जो पूरे देशभर के साहित्य-संस्कृति क्षेत्र के दिग्गज महामनीषियों का आंगन रहा। उसी आंगन में मेरी 1980 में 'राजस्थान के थापे' तथा अगले वर्ष 'मेंहदी राचणी' पुस्तकें पुरस्कृत हुईं।

तीसरी बार जब 1989 में मेरी 'अजूबा राजस्थान' पुस्तक को सात हजार एक रूपये का रामनरेश त्रिपाठी नामित पुरस्कार मिला तो तीन वर्ष के करीब सत्तर पुरस्कृत होने वाले दिग्गजों को पाकर मैं चकित विस्मित ही होता रहा। तब डॉ. विद्याजी मुझे अपने गृह-आंगन 45 गोखले विहार मार्ग स्थित 'श्रीवत्स' ले गईं जिसकी अभी भी मेरे स्मृति पटल पर मनमोहिनी छवि अंकित है।

लखनऊ में विद्याजी ने मुझे कई नामचीन साहित्यकारों से भेंट कराई। वहीं मैंने उनके द्वारा हिन्दी संस्थान में दी जा रही सेवाओं के बारे में सरकारीकरण के रहते ऊपरी दबावों की चर्चा जैसे कुछ प्रसंग छेड़ दिये किन्तु वे तनिक भी उद्विग्न नहीं हुईं और अपनी सरलमना सहज प्रकृति में पारदर्शी रहते बड़ा ही सन्तुलित तथा सकारात्मक सोच लिये जवाब दिया- 'प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए कई तरह के दबावों का, चनौतियों का सामना करना पड़ता है किन्तु मुझे लगता रहा है कि ये दबाव और चुनौतियां भी रचनाकर्म को जमीन देती हैं। अभिव्यक्ति के लिए छटपटाहट देती हैं। मैंने अपने प्रशासनिक दायित्व को ईमानदारी से निभाने का निरन्तर प्रयास कर अपने विश्राम के क्षणों में रचनाकर्म को सुअवसर दिया है। इसलिए मुझे संतोष है कि मैंने तमाम संघर्षों के बीच अपनी रचनाधर्मिता को मरने नहीं दिया। रचनाकर्म के प्रति मेरी निष्ठा जो बनी हुई है इसे मैं ईश्वर की कृपा मानती हूं।'

गवरी कार्यशाला में उपस्थित रसरंग मनीषीगण (1986)

कला मण्डल में समय-समय पर हमने कई बार संगोष्ठियां, समारोह तथा लोकानुरंजनपरक शिविर एवं अन्यान्य कई आयोजन किये जिनमें अनेक ख्याति-विशारदों ने भाग लिया पर विद्याजी किसी कारणवश नहीं आ सकीं किन्तु उनकी महत्त्वपूर्ण भागीदारी यहां के ट्राईबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (टीआरआई) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गवरी कार्यशाला में रही जो मेरे संयोजन में 12 से 14 नवम्बर 1986 को हुई।

इसमें गवरी के प्रदर्शनकर्त्ता आदिवासी भील समाज के प्रतिनिधियों से गवरी मंचन की प्रस्तुति सबके लिए अनूठी यादगार बनी। विद्वानों में समाजविज्ञानी अध्येता शंकर सेन गुप्त, मालती शर्मा, डॉ. हरीश, कोमल कोठारी, मंगल सक्सेना, दयाराम भवाई, रूपसिंह भील, डॉ. पुरुषोत्तम मेनारिया, डॉ. भगवतीलाल व्यास, स्वरूपसिंह चूंडावत आदि ने वैचारिक मंथन द्वारा देश के अनेक विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया।

डॉ. विद्याविन्दुसिंह अपने पूज्य पिताश्री देवनारायणसिंहजी के साथ आईं। यहां उन्हें हिन्दी कवयित्री डॉ. सुधा गुप्ता से मीरां कन्या महाविद्यालय में भेंट कराई। जब टीआरआई के निदेशक डॉ. नरेन्द्र व्यास के अमृत जयंती महोत्सव पर मेरे सम्पादन में 'आदिम गंध के अध्येता' नाम से सन् 2008 में अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित किया गया तो विद्याविन्दुसिंह ने गवरी की उस कार्यशाला को याद करते बड़ा वैदुष्यपूर्ण आलेख लिखा जो लोकनाट्यविज्ञों के लिए कई दृष्टियों से उपयोगी एवं असरदार उन्मेषनीय कहा गया।

उसमें विद्याजी ने लिखा- ''राजस्थान की नृत्य, नाट्य संगीत परम्परा का ऐसा सम्मोहक, उद्दाम, और भावपूर्ण नृत्य मैंने या तो उदयपुर में देखा या मिर्जापुर के आदिवासी क्षेत्र के नर्तकों द्वारा अम्बिकापुर में आयोजित सरगुजा उत्सव में देखा था। गवरी को देखकर तो मुझे यह अनुभूति हुई कि धरती पर बैठे जैसे हम किसी और लोक में पहुंच गये हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि अपनी जमीन से जुड़ी आदिवासी संस्कृति की अनोखी पहचान अभी भी हमें भाव विभोर करके अपनी संस्कृति के प्रति गौरवान्वित होने का अवसर देती है। राजस्थान इस दृष्टि से भी अत्यन्त समृद्ध है।''

मेरे लिए सुखदा यह रहा कि जो गवरी धीरे-धीरे लुप्तप्राय हो रही थी उसी को मैंने अपने शोध का केन्द्रीय विषय बनाकर सन् 1967 में उदयपुर विश्वविद्यालय से पीएच. डी. की उपाधि प्राप्त की और गवरी को ऐसा संजीवन मिला कि आज भी वह समय की लय ताल पर अपनी धुनक देती ध्वनिमत है।

एकबार मैंने विद्याजी से सनाम रचना करने और कभी-कभी अनाम होकर लिखने की लेखकों की प्रवृत्ति पर चर्चा करते राजस्थान में चन्द्रसखी, तुलसीदास, मीरांबाई, कबीर आदि के नाम से लिखने वाले अपने सम्पर्क में आये लोगों की चर्चा में कहा कि मैंने भी ऐसे कुछ प्रयोग किये हैं। मेरा अनुभव यह रहा कि अनाम रचनाएं जब लोक-धरोहर बन जाती हैं तब वह लेखन अधिक जीवी और अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति कराता है।

इस पर विद्याजी ने अपने अनुभव-जगत का हवाला देते स्पष्ट किया- ''मैंने भी ऐसा लेखन बहुत किया है। मैं अवधी में लोकगीत के नाम से अपनी रचनाएं अपने शोधकार्य के दौरान लोक को अर्पित करती रहीं। इसकी प्रेरणा मुझे भी उस सत्य के ज्ञान से मिली जो आपके अनुसार कबीर, सूर, तुलसी, मीरां के नाम से लिखकर मिलती है किन्तु मेरे आदरणीय गुरुजी डॉ. विद्यानिवासजी मिश्र ने मुझे ऐसा करने से मना किया और कहा कि यह लोकसाहित्य के प्रति छल है। उसके बाद से मैंने यह करना बन्द कर दिया।

मेरे द्वारा लिखे गये गीत लोकगीतों के रूप में लोकगायिकाओं द्वारा गाये जाते हैं तो आनन्द तो मिलता ही है भले ही वह मेरा अनाम लेखन है। तुलसी तो लोक के इतने निकट हैं कि उन्हें लोक और शास्त्र दोनों से ऊपर महत्त्व दिया जाता है। तुलसी लोक से, लोक के लिए हैं इसलिए वे पूरे लोक में समाविष्ट हैं किन्तु उनका साहित्य वाचिक के साथ है। लिखित परम्परा में भी सर्वाधिक महत्त्व पा चुका है। इसलिए लोक ने अपनी रचनाओं में उनका नाम डालकर अधिक लोकप्रिय और ग्राह्य बनाया है। यह इन कवियों की लोक में व्याप्ति का सहज प्रमाण है।''

अगले सवाल थे कि देश में अनेक छोटे-बड़े संस्थान और संगठन रचनाकारों को पुरस्कृत करने की होड़ाहोड़ी में दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो रचनाकार के वृद्ध होने पर ही उसे सम्मानित करते हैं। कुछ के लिए यह व्यवसाय जैसा प्रकरण भी बना हुआ सुनने में आता है। आपका संस्थान लम्बे अर्से से भारतीय परिवेश में बड़े-बड़े पुरस्कार भी दे रहा है। अनेक ख्यातिलब्ध लोग वहां से पुरस्कृत एवं सम्मानित हुए हैं। कुछ साहित्यकारों ने बड़े-बड़े पुरस्कार तक ठुकरा दिये हैं तो कुछ पाने की लालसा में जोड़-तोड़ लगाते भी चर्चा में आ जाते हैं। कुछ वास्तविक उम्मीदवार तो चयनित भी नहीं हो पाते हैं।

इस पर विद्याजी बड़े गम्भीर सोच में पड़ गईं। एकबार तो मुझे लगा कि बहुत सारे सवाल पर सवाल मैंने नाहक ही कर डाले पर मैं यह भी जानता हूं कि उनके संस्थान में इस तरह की समस्याओं से भी उन्हें संभवत: सामना करना पड़ा हो और अनेक विद्वानों ने इस समस्या पर गम्भीरता से वहां मंथन भी किया हो तो मैं भी उन सारी स्थितियों और विकल्पों से अपनी जानकारी को समृद्ध कर पाऊंगा। उन्होंने बड़ी शालीनता से नपेतुले शब्दों में कहा- ''यह सारा व्यामोह इसलिए ही है कि पुरस्कार और सम्मान के साथ धनराशि जुड़ी है। मुझे लगता है कि सम्मान केवल सम्मान के लिए हो तो इतनी होड़ नहीं होगी। यह धनराशि प्राय: साहित्यकार को तब मिलती है जब उसके जीवन का आखिरी पड़ाव आ जाता है। इसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन तथा धनराशि का उपयोग वह अपनी रचनाधर्मिता के उपयोग में प्राय: नहीं कर पाता। इसलिए यदि वरिष्ठ रचनाकारों के सम्मान में उनकी कृतियों के प्रकाशन और वितरण की व्यवस्था में पुरस्कार सम्मान, राशि का उपयोग किया जाय तो अधिक सार्थक होगा।''

गवरी कार्यशाला में मैंने डॉ. विद्याविन्दुसिंह के परिचय में जब उनके द्वारा साहित्य की प्रत्येक विधा में विपुल मात्रा में उल्लेखनीय सजृन और विश्वविद्यालयों में उनके सृजन पर की जा रही शोध पर सारगर्भित परिचय दिया तो अनेक विद्वानों ने उनके योगदान की भरपूर सराहना की लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न सदैव बना रहा कि अधिक नहीं तो भी कुछेक तो ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने लेखन के लिए केवल एक ही विधा को चुना और उनमें एक मैं स्वयं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। ऐसी स्थिति में 02 जुलाई 1945 को फैजाबाद के जैतपुर में जन्मीं विद्याजी से पिछले दिनों मैंने इस बारे में पूछ ही लिया तब उत्तर में उन्होंने लिखा-

''मुझे संतोष है कि मेरी हर विधा में अभिव्यक्ति है किन्तु किसी भी विधा में स्थापित होने का उतना अवसर नहीं मिला जितना एक विधा को पकड़ने वाले को मिलता है। कुछ लोगों ने मेरी अलग-अलग विधाओं के लिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ समीक्षाएँ और पत्र प्रकाशित भी हैं। उम्र के इस पड़ाव पर मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बहुत सी कृतियाँ अभी अप्रकाशित पड़ी हैं। इच्छा है कि वे प्रकाशित होकर उन तक पहुँचें जिनके लिए लिखी गयी हैं। यद्यपि साहित्य के प्रति नयी पीढ़ी की अरुचि और उपेक्षा देखकर कभी-कभी लगता है कि जो हम उन्हें अपनी संस्कृति की विरासत नाना विधाओं में प्रस्तुत करके देना चाहते हैं वह ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो मन निराश भी होता है किन्तु हम आस्थावान संस्कृति के सम्वाहक हैं इसलिए इस उम्र में भी निरन्तर कठिन परिश्रम करके सक्रिय हैं। हमारे लेखन और प्रकाशन का मकसद यही है कि हमने अपने पूर्वजों से, अपनी संस्कृति और अपने वांग्मय से जो पाया है उसे अगली पीढ़ी को सौप कर जायें तो संतोष मिलेगा।''

सच तो यह है कि डॉ. विद्याविन्दुसिंह ने 'विद्या ददाति विनयम्' की उपासना करते हुए अपने अनवरत साधना-कर्म से अमृत वर्ष पूरे कर उससे दोगुनी कृतियां पाठकों को सौंपी हैं। वे इसी प्रकार अथक रहते मां भारती के श्रीचरणों में अपनी कलम-कमलिनी की आरती करतीं हमें भी उस प्रसाद का मोदक देती रहें।

शब्द रंजन

उदयपुर, गुरूवार 15 अक्टूबर 2020

सम्पादकीय

संकेतों की समझ

संकेतों से किसी का आशय समझने की कला प्रागैतिहासिक काल में ही मानव को आ गई थी जब वह पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुआ था। उस काल के शैल चित्र इसके पुष्ट प्रमाण देते हैं। बहुत बाद में जाकर लिपि का आविष्कार हुआ लेकिन आज भी संकेतों द्वारा अपना आशय समझने-समझाने की कला मनुष्य में विद्यमान है जिसका प्रयोग वह हर समय अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है।

प्रागैतिहासिक काल के प्रख्यात शैल चित्र खोजक बूंदी निवासी ओमप्रकाश 'कुकी' बताते हैं कि तब का मानव कबीले में रहता था। ये कबीले दूर-दूर तक चट्टानों के सहारे नीचे गड्ढे बना-बना कर रहते। पत्थर के औजार काम में लेते और उन्हीं से जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरते। जब वहां जीवन यापन की सुविधा नहीं रहती तो आगे-से-आगे कूच कर जाते मगर चट्टानों पर सहज रूप से चित्रकारी करते। उन चित्रों से पता चलता है कि वे कैसे रहते थे। कैसे शिकार करते थे और अपने बच्चों को भी खिलाते सिखाते थे।

शिकार विषयक चित्रों से उस समय के सामाजिक परिवेश का पूर्ण रूप से अध्ययन कई संकेत और उनकी समझ का अध्ययन देता है। उससे यह भी पता चलता है कि हिंसक जानवरों का मुकाबला कैसे किया जाता और अन्य जानवरों की शिकार कैसे सहज सुलभ हो जाती। शारीरिक अंगों के माध्यम से तब की सांकेतिक समझ का यदि कोई बारीकी से अध्ययन-अन्वेषण करना चाहे तो अनेक तथ्य हाथ लग सकते हैं।

लेकिन वर्तमान परिवेश के मानव का अध्ययन भी कई बार संकेतों से ही अपना काम चलाता प्रतीत होता है। चिड़ियों को दाना चुगाने के लिए, कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए, गाय को पुचकारने के लिए, बन्दरों को बुलाने के लिए विविध संकेतों और सांकेतिक वाणी का प्रयोग करने पर ये सब जानवर मनुष्य के पास आकर उसके साथी ही बन जाते हैं।

पशुओं, पक्षियों और अन्य जलीय जीवों के आपसी संकेत भी अध्ययन करने योग्य हैं। बहुत ध्यानपूर्वक देखने पर उनके आपसी स्नेह-सौहार्द तथा छेड़छाड़ के संकेत भी हमें दिखाई देते हैं। इनके पास मनुष्य की तरह भाषायी बोल-चाल नहीं है पर अपनी टूटी-फूटी ऐसी अस्पष्ट अपूर्ण तथा संकेतात्मक समझ अवश्य है जो हमारी समझ से परे लगती है लेकिन ये सब प्राणी भी अपने समूह, समाज और परिवार के साथ जीवन-बसर करते अन्य शक्तिशाली तथा इन पर आक्रामक दृष्टि रखने वाले प्राणियों से अपना बचाव करने की निरन्तर चेष्टा करते हैं।

आज के मानव और तब के मानव में आकाश-पाताल सा परिवर्तन देखने को मिलता है तब भी बिना किसी वाणी व्यवहार के बहुत सारे संकेत-सन्दर्भ ऐसे हैं जिनसे हमें उसका आशय समझने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। शरीर के जो विभिन्न अंग-प्रत्यंग हैं उनसे अवश्य तत्काल-त्वरित और गुप्त रूप से प्रेषित किया जाता है। इनमें आंखों, उंगलियों तथा अन्य शारीरिक अवयवों के माध्यम से जो संकेत दिये जाते हैं उन्हें दूसरा भी नहीं समझ सकता जिसे समझाना है वही समझ जाता है।

समूहगत समझ के संकेत प्रतीकों के माध्यम से बनाये गये हैं जिनमें भाषागत उपयोग नहीं होता। छोटे बच्चे पढ़ाई के दौरान कक्षा के भीतर बैठे अचानक पेशाब करने जाने के लिए गुरुजी से हाथ की सबसे छोटी अंगुली बताते स्वीकृति पाते हैं जबकि लेट्रिन के लिए अंगूठे के पास वाली दो अंगुलियां बताकर इशारा पाकर क्लास छोड़ते हैं।

बोहरा अध्यक्ष, गाँधी सचिव मनोनीत

उदयपुर (विज्ञप्ति)। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की उदयपुर शाखा के सत्र 2020-21 हेतु अध्यक्ष पद पर सीए मुकेश बोहरा, सचिव पद पर कुणाल गाँधी तथा कोषाध्यक्ष पद पर दीक्षा जारोली को राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पारिख द्वारा मनोनीत किया गया। मीडिया प्रभारी डॉ. तुक्तक भानावत ने बताया कि तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की देशभर में 50 से अधिक शाखाएं तथा 5000 प्रोफेशनल सदस्य हैं।

अण्डे का सेवन शत प्रतिशत मांसाहार है

- डॉ. दिलीप धींग -

अण्डे को शाकाहार कहना शत प्रतिशत झूठ है। दुनिया का कोई अण्डा शाकाहार नहीं होता, न ही वह निर्जीव होता है।

फिर चाहे वह निषेचित हो या अनिषेचित। साथ ही, 'ऑर्गनिक अण्डे' का सेवन भी मांसाहार ही कहलाएगा। प्राणी के लक्षण श्वासोच्छ्वास (साँस लेना व छोड़ना), वृद्धि होना, खुराक लेना आदि प्रवृत्तियाँ सभी प्रकार के अण्डों में पाई जाती हैं। अनिषेचित अण्डों की तुलना ऐसे अविकसित भ्रूण से की जा सकती है, जिसका जीवित रहना संभव नहीं हो पाता है। अण्डा मुर्गी या पक्षी के अण्डाशय का उत्पाद है। वह जीवित प्राणी कोष (एनिमल सेल) है।

केन्द्रीय मंत्री पर्यावरणविद् मेनका गांधी के शब्दों में- 'अण्डा मुर्गियों के मासिक धर्म का रक्त होता है। अण्डे वाला मासिक धर्म का रक्त मुर्गी के शरीर द्वारा उसी प्रकार निकालकर फेंक दिया जाता है, जिस प्रकार महिलाएँ अपने प्रजनन न हो सकने वाले रक्त को प्रत्येक माह निकाल कर फेंक देती है।'' इस प्रकार किसी भी प्रकार के अण्डे को शाकाहार कहना न सिर्फ झूठ, अपितु अवैज्ञानिक भी है।

पौल्ट्री फार्म में तरह-तरह की क्रूरताएँ होती हैं। अधिक संख्या में अण्डों की प्राप्ति के लिए मुर्गियों को ऐसा आहार और दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनसे मुर्गियाँ न तो स्वस्थ रह पाती हैं और न ही स्वतन्त्र/सामान्य जीवन जी पाती हैं। मुर्गियों की चोंच का अगला भाग काट दिया जाता है। मुर्गियों को बोन-मील (हड्डी-आहार), ब्लड-मील (रक्त-आहार), फीस-मील (विष्ठा-आहार), मीट-मील (मांसाहार) और फिश-मील (मत्स्याहार) जैसे हिंसक आहार देकर प्राप्त अण्डों को कैसे शाकाहार कहें?

प्रत्येक अण्डे का निर्माण मुर्गी के गर्भाशय में होता है। अण्डे की निर्माण-प्रक्रिया प्रजनन का एक अंग है। मुर्गियाँ या मादा पक्षी अपने दिये हुए अण्डों को प्रबल मातृत्व-इच्छा के बावजूद, से नहीं पाती हैं। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों के समूह ने पता लगाया कि अण्डा देने के बाद मुर्गी और अण्डे के बीच 'बातचीत' होती है, जिसके 11 श्रव्य संकेत होते हैं। जिनमें-से मातृ-संकेत को क्लक और भ्रूण-संकेत को पीप कहा जाता है। अन्य पक्षियों के अण्डों पर भी यही बात लागू होती है।

कुछ लोग छलपूर्वक दूध और अण्डे की तथ्यहीन तुलना कर बैठते हैं लेकिन, दूध और अण्डे की तुलना कभी नहीं हो सकती है। दूध जीव नहीं होता है, जबकि अण्डा किसी पक्षी का 'जन्तु-कोशिका' से युक्त भ्रूण होता है, चाहे वह निषेचित हो या अनिषेचित।

दूधग्रंथियाँ 'मीरोक्राइन' किस्म की होती है। जिनके स्राव से जीवित कोशिका को कोई नुकसान नहीं होता है। दूध में 'जन्तु-कोशिका' नहीं होती है। दूध किसी भी तरह से मांसाहार नहीं है। अण्डे की दूध से तुलना करना अथवा उसे शाकाहार कहना व्यावसायिक चाल है, जिसके तहत शाकाहारियों की अण्डे के प्रति झिझक तोड़ने की दूषित मनोवृत्ति छिपी हुई है। शाकाहार प्रधान भारत की छवि ऐसे देश की रही है, जहाँ घी-दूध की नदियाँ बहती थीं। यहाँ प्रचुर मात्रा में दूध-दही की उपलब्धता के कारण ही ऐसा कहा जाता रहा।

अक्टूबर-2005 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अण्डों को मांसाहारी भोजन मानते हुए इसकी सार्वजनिक और खुले आम बिक्री पर भी रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने रायपुर के मनोहर जेठानी की याचिका पर फैसला देते हुए रायपुर के नगर निगम आयुक्त को अण्डा बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने तथा चिकन-मटन की तरह अण्डा-व्यवसाय के लिए भी वैधानिक आधार पर नियम बनाने के आदेश दिये।

खण्डपीठ ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम, 1956 के प्रावधान अण्डों पर भी लागू करके इनकी बिक्री का स्थान तय किया जाना चाहिये। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेशचन्द्र शर्मा और वीरेन्द्र शर्मा ने कहा था कि राजधानी के अनेक वार्डों तथा प्रमुख सड़कों के किनारे खुले आम मटन, चिकन के साथ ही अण्डों की बिक्री भी की जाती है। अण्डों को शाकाहार मानने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। यह जीवित मुर्गी का उत्पाद है। खेतों में बीज बोकर यह प्राप्त नहीं होता।

भारत सरकार भी अण्डाहार को मांसाहार ही मानती है। किसी खाद्य पदार्थ और दवाई के निर्माण में यदि अण्डा या अण्डे का अंश भी डाला जाता है तो उसकी पैकिंग पर उसके मांसाहारी होने का लाल या भूरा निशान अंकित करना कानूनन अनिवार्य है।

भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम, 2011 के अनुसार दूध और दूध से बने उत्पादों को छोड़कर किसी भी खाद्य पदार्थ का अंश या घटक, जिसमें कि किसी भी जानवर का पूर्ण या आंशिक हिस्सा हो और जिसमें पक्षी, जलीय व समुद्री जानवर, अण्डे हों या मूल रूप से किसी भी जानवर के अंश से बना पदार्थ हो, वह मांसाहारी खाद्य-पदार्थ कहलाता है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि अण्डा खाना शत प्रतिशत मांसाहार है।

सर्वेश शर्मा को पितृशोक

उदयपुर (विज्ञप्ति)। दैनिक भास्कर उदयपुर संस्करण के न्यूज एडिटर सर्वेश शर्मा के पिता सीतारामजी शर्मा का 14 अक्टूबर को सीकर में निधन हो गया। धर्माणा मोक्षधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ 67 वर्षीय सीतारामजी (जगदीश मंदिर वाले) शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत्त थे। वे अपने पीछे पत्नी, बेटे सर्वेश और सुनील के अलावा दो बेटियां और नाती-पोते छोड़ गये हैं।

पत्र-पिटारी

'शब्द रंजन' से पुराने मित्र की स्मृति

'शब्द रंजन' के माध्यम से मुझे अपने अभिन्न मित्रों में से एक श्री कृष्णकुमार 'सौरभ भारती' के स्वर्गवास का अत्यन्त दुखद समाचार मिला। हृदय को एक धक्का-सा लगा। उदयपुर में वे मेरे कतिपय अभिन्न मित्रों में से एक थे। हम दोनों के निवास बहुत निकट थे इसलिए प्राय: हर संध्या उनसे भेंट हो जाती थी। उनके निवास पर उदयपुर के पत्रकार तथा रचनाधर्मी प्राय: एकत्र होकर गोष्ठियां किया करते थे। कितने उदार, हंसमुख, स्पष्ट वक्ता, मित्रों के हर संकट में साथी कृष्णकुमार सचमुच 'कृष्ण' थे। 'दैनिक अधिकार' के संस्थापक-सम्पादक के रूप में उस समय उनका यश राजस्थान से बाहर भी अपना प्रकाश फैला रहा था।

पत्नी के इलाज के लिए मुझे लम्बे समय तक पुत्र के पास दिल्ली रहना पड़ा किन्तु भारतीजी से सदैव सम्पर्क और प्रेम-सम्बन्ध रहा। जब मेरी पत्नी का देहावसान हुआ तब धीरज दिलाता हुआ उनका एक लम्बा पत्र आया था, जो आज भी मेरे मित्रों की पत्रावली में सुरक्षित है। काश ! उसके बाद मेरी उनसे फिर भेंट हुई होती! अब वे सदा मेरी स्मृतियों में रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें। **-डॉ. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश', नोयडा**

लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौकीदार : सूचना का अधिकार

- आत्मदीप -

सूचना का अधिकार जनता का ब्रह्मास्त्र है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। सरकार व सरकारी तंत्र को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और सार्वजनिक क्रियाकलाप में शुचिता व पारदर्शिता लाने का यह प्रभावी उपकरण है। हर भारतीय को यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौकीदार बनने की ताकत देता है। सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ियों को दूर कर उन्हें दुरूस्त करने के महान उद्देश्य से जनता को यह शाक्तिशाली अधिकार दिया गया है लेकिन इसकी मौजूदा व्यवस्था ने इस महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार की राह को मुश्किल बना दिया है।

सरकार ने अन्य देशों के कानूनों, जमीनी अनुभवों व भारतीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लंबे विमर्श के बाद भारत का सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया। इस कानून को दुनिया के श्रेष्ठ कानूनों में गिना जाता है। मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त के रूप में 5 साल काम करने के दौरान मुझे जो कुछ महत्त्वपूर्ण अनुभव हुए वे सुझाव के रूप में यहां प्रस्तुत हैं।

(1) देश की अधिकांश जनसंख्या अपने मौलिक अधिकार की जानकारी से वंचित है। बमुश्किल एक प्रतिशत नगारिक ही इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उच्च शिक्षित और अखिल भारतीय व राज्यस्तरीय सेवाओं के अधिकारियों को भी इस कानून की पर्याप्त जानकारी नहीं है। सीबीएसई की तर्ज पर राज्यों के शिक्षा बोर्डों द्वारा पाठ्यक्रम में इस कानून को शामिल कर नई पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक बनाने की आवश्यता है।

(2) संविधान में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को लोक सेवक यानी जनता के नौकर के रूप में परिभाषित किया गया है लेकिन व्यवहार में स्थिति इसके उलटी है। सरकारी व्यवस्था के सहारे ये लोक स्वामी बन बैठे हैं। तंत्र पर लोक के होने की हावी होने की बजाय, लोक पर तंत्र को हावी होने से लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल गई है।

इसे सुधारने का कारगर हथियार है- सूचना का अधिकार। लोकसेवकों को नियमित रूप से इसका प्रशिक्षण देने के कानूनी प्रावधान अनिवार्य हों। लोक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों व लोकसेवकों को इस कानून का पर्याप्त ज्ञान होने पर ही वे जनता को वांछित जानकारी समय पर उपलब्ध करा सकेंगे।

(3) इस कानून की धारा 4 में लोक प्राधिकारियों की बाध्य शर्तें सुनिश्चित हैं। यह अनिवार्य है कि हर लोक प्राधिकारी अपने कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारियां सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें और उन्हें हर साल अपडेट करें।

इन बिन्दुओं में लोक महत्व की काफी जानकारियां इसलिए शामिल की गई हैं, ताकि लोगों को सूचना का आवेदन लगाने की जरूरत न पड़े। इसी धारा में यह बाध्यता भी नियत की गई है कि हर लोक प्राधिकारी अपने कार्यालय के सारे रिकार्ड को इस तरह सूचीबद्ध, अनुक्रमणिकाबद्ध व सुव्यवथित ढंग से संधारित करेगा कि किसी दस्तावेज को खोजने में कोई दिक्कत न आए ताकि आरटीआई लगाने वालों को मांगी गई जानकारी शीघ्र व आसानी से मिल सके। इन बाध्यकारी प्रावधानों का पालन कराने के लिये सरकार सख्त कदम उठाये।

(4) आरटीआई लगाने के बाद 30 दिन की निर्धारित अवधि में चाही गई जानकारी न मिलने पर आवेदक प्रथम अपील करता है पर बड़ी सख्या में प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने अर्द्धन्यायिक दायित्व का न्यायोचित ढंग से निर्वहन नहीं करते फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपीलीय अधिकारियों को दंड देने की शक्ति न दिये जाने के कारण प्रथम अपील पर दिये गये उनके आदेश का कई लोक सूचना अधिकारी पालन नहीं करते। इस स्थिति में सुधार के लिए अपीलीय अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण व दंडात्मक शाक्ति देने की जरूरत है।

(5) प्रथम अपील पर न्याय न मिलने पर लोगों की द्वितीय, अंतिम अपील सुनकर फैसला करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग बनाये गये हैं। इन आयोगों को पर्याप्त शाक्तियां, स्वायतत्ता व काम करने की पूरी स्वतंत्रता देकर कानूनन काफी मजबूत बनाया गया है।

दंड देने व जांच करने के अलावा ये आयोग सिविल कोर्ट की शाक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकते हैं। लोगों को सूचना के अधिकार का जो कुछ भी लाभ मिल रहा है, वह आयोगों को प्राप्त इन शाक्तियों का ही सुपरिणाम है। ये शक्तियां ही इस अधिकार की सबसे बड़ी संरक्षक सिद्ध हो रही हैं। यदि ये शक्तियां न होतीं तो यह अनमोल अधिकार दिखावा बनकर रह जाता। इन आयोगों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।

(6) अधिकतर सरकारें मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्ति में सुपात्र नागरिकों की बजाय सेवानिवृत्त नौकरशाहों को प्राथमिकता देती है। उनका चयन भी मैरिट के आधार पर नहीं किया जाता जबकि योग्य नागरिकों को नियुक्ति में प्राथमिकता देकर लोकहित व शासनहित अधिक साधा जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा गठित सरकारिया आयोग की संसद में स्वीकृत सिफारिशों में साफ कहा गया है कि सूचना आयोगों में सिविल सोसायटी के श्रेष्ठ जनों को अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त किया जाना चाहिए। नौकरशाहों में सूचनाएं दबाने-छुपाने की स्वभावत: प्रवृत्ति होती है। सरकारों को चाहिये कि वे इसमें पारदर्शिता एवं त्वरितता लाने हेतु श्रेष्ठ जनसेवकों को प्राथमिकता दे।

(7) कुछ सूचना आयुक्त शिकायतों व अपीलों पर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर देते हैं। ये आदेश आटीआई एक्ट के प्रावधानों, न्यायिक विवेक और प्राकृतिक न्याय व न्याय शास्त्र के सिद्धातों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे आदेश लोगों का बुरी तरह आहत करते हैं।

ये आयुक्त अपील या शिकायत पर पारित अपने आदेश पर पुनर्विचार की मांग भी प्राय: ठुकरा देते हैं। आयोग के फैसलों के खिलाफ कहीं अपील भी नहीं की जा सकती। सिर्फ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है, जिस पर औसतन 20 हजार रूपये से अधिक का खर्च आता है।

इसे वहन करना आम जनता के बस की बात नहीं। इस व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए ऐसा कानूनी उपाय करने की बेहद जरूरत है जो आम आदमी की पहुंच में सुलभ हो।

(8) सूचना का अधिकार सद्भाविक प्रयोजन के लिए दिया गया है। इसका दुरूपयोग करना इस अधिकार के पावन ध्येय के साथ अन्याय है। कई लोगों ने खुद को आरटीआई कार्यकर्ता घोषित कर 'सूचना के अधिकार' को 'सूचना का रोजगार' बना लिया है जो दुर्भावनावश व्यक्ति विशेष को परेशान करने, कारोबारी हित या निजी स्वार्थ साधने के लिए इस पवित्र अधिकार का अनुचित इस्तेमाल करते हैं। लोकसेवकों व नागरिकों को इस कानून के प्रयोजन व प्रावधानों की सही जानकारी देकर सरकार द्वारा दुरूपयोग की इस बढ़ती प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए सख्त कदम उठाने की महती आवश्यकता है।

(9) राजनीतिक दल स्वयं को आम जनता की सेवा में समर्पित बताते हैं किन्तु जनता को वे अपने कामकाज, आय-व्यय आदि की जानकारी देने को तैयार नहीं हैं। केंद्रीय सूचना आयोग कुछ वर्ष पूर्व फैसला सुना चुका है कि सरकार से सुविधाएं पाने वाले दल आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं इसलिए वे नागरिकों को उनके बारे में मांगी गई सूचनाएं देने के लिए बाध्य हैं पर इस न्यायसंगत निर्णय को शिरोधार्य कर जनता को अपने बही-खाते बताने की बजाय वे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे हैं, ताकि इस सर्वहितकारी फैसले को खारिज कराया जा सके। राजनैतिक दलों को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

सूचना : आरटीआई संबंधी वैधानिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज 'राइट टू इन्फॉरमेशन जर्नलिस्ट' देखा जा सकता है।

डॉ. भानावत को लोक शिखर सम्मान

उदयपुर, का. सं.। लोकसंस्कृति अध्येता डॉ. महेन्द्र भानावत को वर्ष 2020-21 का लोक शिखर सम्मान प्रदान किया जाएगा। भोपाल की कला समय संस्था पिछले आठ वर्षों से कला-साहित्य की शख्सियतों को शिखर सम्मान प्रदान कर रही है।

कला समय के सचिव भंवरलाल श्रीवास के अनुसार इस वर्ष डॉ. महेन्द्र भानावत को लोकसाहित्य के प्रति उनकी दीर्घ साधना तथा समर्पित गहरे अवदान के लिए 'लोक शिखर सम्मान' प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शताधिक पुस्तकों के प्रणेता डॉ. भानावत को अब तक महाराणा सज्जनसिंह, डॉ. कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, पं. रामनेरश त्रिपाठी, महाकवि कालिदास नामित तथा श्रेष्ठ कला आचार्य, लोककला मनीषी, सृजन विभूति, लोकसंस्कृति रत्न, लोककला सुमेरु, लोकरत्न, साहित्यांचल शिखर, लोककला रत्न, कठपुतली कला कीर्तिमान आदि सहित राजस्थान साहित्य अकादमी एवं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के फैलो सम्मानों-पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

क्या होगा मोमबत्तियां जलाने से!

-लक्ष्मण बोलिया

जवाब दो सरकार
लूटते रहेंगे कब तक हवस के दरिन्दे
मासूम बेटियों की अस्मत?
कब तक बनाते रहेंगे
पीड़ितों की आंखों को आंसुओं का पनघट।
क्यूँ सो रहा है समग्र समाज
कहाँ है समाज शास्त्री कहां है समाज के पंच?
अस्मत लुटेरों को
होता क्यूँ नहीं खाकी का खौफ?
समझते क्यूँ नहीं अपराधों के ईंधन पर
जाति और वोटों की रोटियां सेंकने वाले नेता?
करना होगा यह काम
लटकाना होगा फांसी पर आबरू लुटेरों को सरे आम
बनाना होगा कानून
खोलनी ही होगी न्याय की आखों पर बंधी पट्टी।
होगा क्या बताओ
सुर्खियों में छापने से कैमरों में दिखाने से
विरोधों-नारों- धरनों-प्रदर्शनों से
मोमबत्तियाँ जलाने से आग को आगे बढ़ाने से?
यही तो करते आए हो अब तक
कुछ दिन जोश के बाद
फिर हो जाएगी कोई शिकार
मासूम ,अबला और ....!
होगा फिर वही शोर ....!!
करना ही चाहते हो कुछ अगर
तो तय दिनों में जांच पूरी करो।
साबित अपराधी को
खुले आम फांसी देने का कानून पास करो
दया याचिकाएं बंद करो
लापरवाह खाकी के खिलाफ
आपराधिक मुकदमा दर्ज करो।
बोलो हे समाज !! बोलो हे सरकार!!!

सहारा ने किया 3,226 करोड़ का भुगतान

उदयपुर (विज्ञप्ति)। सहारा इंडिया परिवार ने एक वक्तव्य में कहा कि पिछले 75 दिनों में 10,17,194 सदस्यों को 3,226.03 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

इस अवधि में भुगतान की गयी कुल राशि में से 2.18 प्रतिशत राशि का भुगतान विलंबित-भुगतान संबंधी शिकायतकर्ताओं के निवेदनों पर किया गया। विलंबित भुगतान के शिकायतकर्ताओं की संख्या निवेशकों की कुल संख्या का 0.07 प्रतिशत है। सहारा के भारतभर में लगभग 8 करोड़ निवेशक हैं। सहारा ने पिछले 10 वर्षों में अपने 5,76,77,339 निवेशकों को 1,40,157.51 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। इसमें से केवल 40 प्रतिशत मामले पुनर्निवेश के हैं जबकि शेष को नकद भुगतान किया गया है।

एमवे इंडिया द्वारा नारी शक्ति परियोजना लॉन्च

उदयपुर (विज्ञप्ति)। महिलाओं को आगे लाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध और देश में गिग इकोनॉमी इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में प्रमुख कदम के रूप में देश की अग्रणी एफएमसीजी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक एमवे इंडिया ने 'नारी शक्ति' परियोजना लॉन्च की।

एमवे इंडिया के सीईओअंशु बुधराजा ने कहा कि अपनी 10-वर्षीय विकास दृष्टि के हिस्से के रूप में एमवे का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बना कर फिटनेस, स्वस्थ जीवन, पाक कला या सुंदरता संबंधी अपने जुनून को जीने के दौरान खुद का व्यवसाय संचालित करने का अवसर प्रदान करना है। पूर्वी क्षेत्र से शुरू होकर नारी शक्ति परियोजना एमवे के मौजूदा वूमेन डायरेक्ट सेलर्स के मौजूदा समूह को अपने स्वतंत्र एमवे व्यवसायों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उनके मौजूदा कौशल को निखारकर आगे लाने पर लक्षित है। वर्तमान स्वास्थ्य संकट ने नौकरियों के संदर्भ में बढ़ती अनिश्चितता के कारण गिग इकोनॉमी इकोसिस्टम में लचीली भूमिकाओं की स्वीकार्यता को बढ़ा दिया है। महिलाएं वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और एमवे महिलाओं के उत्थान की दिशा में काम करते हुए लंबे समय से समान अवसर मुहैया करा सहयोग प्रदान कर रहा है।

हिमालया का अभियान 'एक नई मुस्कान'

उदयपुर (विज्ञप्ति)। हिमालया ड्रग कंपनी ने अपना फ्लैगशिप सोशल इंपैक्ट अभियान, 'मुस्कान' मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आरंभ किया। राजेश कृष्णमूर्ति, बिज़नेस डायरेक्टर-कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीज़न ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य क्लेफ्ट लिप एवं पैलेट के बारे में जागरुकता बढ़ाना है। क्लेफ्ट संगठन, स्माईल ट्रेन के साथ साझेदारी में जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क जीवनरक्षक क्लेफ्ट उपचार प्रदान करेगा। 'एक नई मुस्कान' अभियान द्वारा, हिमालया लिप केयर क्लेफ्ट लिप एवं पैलेट के इलाज के बारे में जागरुकता बढ़ाने पर केंद्रित है। इस अभियान में आठ वर्षीय मुनमुन की प्रेरणाप्रद कहानी दिखाई गई है। जिसकी सुरक्षित क्लेफ्ट सर्जरी से जिंदगी बदल गई है। ममता कैरोल, वाईस प्रेसिडेंट एवं रीज़नल डायरेक्टर, एशिया स्माईल ट्रेन ने कहा कि भारत में हर साल, 35,000 से ज्यादा शिशु क्लेफ्ट के साथ जन्म लेते हैं। इससे उनके विकास पर गहरा असर पड़ता है क्योंकि क्लेफ्ट का इलाज न कराने पर उन्हें खाने, सांस लेने, सुनने और बोलने में परेशानी होती है। विस्तृत सेफ्टी गाईडलाईंस के साथ हमारे पार्टनर अस्पताल क्लेफ्ट सर्जरी दोबारा करना शुरू कर क्लेफ्ट के मरीजों के निशुल्क इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं।

फ्लिपकार्ट की 2000 से ज्यादा फैशन स्टोर्स के साथ भागीदारी

उदयपुर (विज्ञप्ति)। फ्लिपकार्ट ने त्योहारी सीजन में 2,000 फैशन स्टोर्स में उपलब्ध उत्पादों की व्यापक श्रेणी को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए 100 से ज्यादा ब्रैंड्स के साथ भागीदारी की है। 300 से अधिक शहरों में मौजूद इस भागीदारी से ब्रैंड्स को उनके उपलब्ध रिटेल सलेक्शन को पास के पिनकोड्स में प्रदर्शित करने में आसानी होगी। इससे ग्राहकों को चुनने के अधिक विकल्प मिलेंगे और उसके बाद फ्लिपकार्ट के सुरक्षित और सैनिटाइज़्ड सप्लाई चेन के जरिए उसे ग्राहकों तक पहुंचा दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट फैशन के वाइस प्रेसिडेंट, निशित गर्ग ने कहा कि खरीदारी का भविष्य एकीकृत मॉडल से जुड़ा है जहां खरीददारी के अलग-अलग तरीकों के बीच की सीमा रेखा धुंधली हो रही है। इससे ग्राहकों, ब्रैंड्स और विक्रेताओं सभी को फायदा होगा।

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 17 से

उदयपुर (विज्ञप्ति)। अमेज डॉट इन ने 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे फेस्टिव ईवेंट 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' की घोषणा की। अमेजन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मनीष तिवारी ने कहा कि इस फेस्टिवल में एसएमबी को इस मुश्किल वक्त में अपने कारोबार को फिर से खड़ा करने और कारोबार में तेजी लाने में मदद मिलेगी। देशभर के ग्राहकों के पास लोकल शॉप, अमेजन लॉन्चपैड, अमेजॅन सहेली, और अमेजन कारीगर जैसे विभिन्न प्रोग्राम के तहत हजारों अमेजन विक्रेताओं के अनूठे उत्पादों की खरीदारी करने और लाखों छोटे कारोबारियों की ओर से पेश डील्स, ऑफर का आनंद उठाने का अवसर होगा।

फ्लिपकार्ट और पेटीएम में गठबंधन

उदयपुर (विज्ञप्ति)। फ्लिपकार्ट ने पेटीएम के साथ गठबंधन किया है। शॉपिंग के बदले ग्राहक अपने पेटीएम वॉलेट और पेटीएम यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के लिए पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल कर ग्राहक फ्लैश सेल्स तथा लिमिटेड स्टॉक्स से नहीं चूकेंगे। पेटीएम वॉलेट से भुगतान पर तत्काल कैशबैक की सुविधा भी मिलेगी। रंजीत बोयनपल्ली, हैड फिनटैक एंड पेमेंट्स ग्रुप, फ्लिपकार्ट ने कहा कि पेटीएम के साथ गठबंधन, ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन उपलब्ध कराने तथा सभी के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा साकार करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है।

एचडीएफसी बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स में करार

उदयपुर (विज्ञप्ति)। एचडीएफसी बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स ने हैल्दी लाइफ प्रोग्राम के लिए हाथ मिलाया है। यह प्रोग्राम एक संपूर्ण स्वास्थ्य-सेवा समाधान है जिसका उद्देश्य अपोलो के डिजिटल प्लेटफार्म अपोलो 24/7 पर स्वस्थ जीवन को सब तक पहुंचाना और किफायती बनाना है। प्रोग्राम एचडीएफसी के उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया गया है, जो किसी भी आपातकाल परिस्थिति में किसी भी समय अपोलो 24/7 पर कॉल करके डॉक्टर तक पहुँच सकते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पूरी, अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप के चेयरमैन डॉ. प्रताप सी. रेड्डी, एग्जीक्यूटिव वाईस-चेयरपर्सन श्रीमती शोबना कामिनेनी तथा एचडीएफसी बैंक के डेज़ीग्नेट एम.डी. शशीधर जगदीशन की मौजूदगी में हुई।

व्यास ओयो होटल्स एन्ड होम्स के सीओओ बने

भीलवाड़ा (विज्ञप्ति)। ओयो होटल्स एंड होम्स ने हर्षित व्यास को कोविड-19 के दौरान ऑपरेशन्स के कार्यों के साथ-साथ टीमों को व्यापार में बने रहने के लिए प्रेरित करने के लिए सीओओ, इंडिया और साउथ एशिया, फ्रैंचाइज बिजनेस नियुक्त किया है।

हर्षित भारत और दक्षिण एशिया के सीईओ रोहित कपूर के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मूलतः भीलवाड़ा निवासी हर्षित ने गुड़गांव में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में शुरुआत कर मलेशिया में स्थानीय टीम की स्थापना करके ओयो की इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करवाने में मदद की। पश्चिम के क्षेत्र प्रमुख के रूप में, उन्होंने एक बड़ी टीम का नेतृत्व किया और इस क्षेत्र को ओयो के लिए सबसे अधिक लाभदायक व्यावसायिक इकाइयों में से एक बना दिया।

सिर में भरे पानी व गांठों का सफल ऑपरेशन

उदयपुर (विज्ञप्ति)। पारस जे. के. हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने पांच माह के बच्चे के सिर में भरे पानी व गांठों का सफल ऑपरेशन किया है। मुख्य न्यूरो सर्जन डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि बच्चे को जन्म से ही सिर में पानी भरने की समस्या थी। एमआरआई जांच में पता चला कि बच्चे के सिर में पानी भरा है और गाठें हो रही हैं।

डॉ. अजीत सिंह ने परिजनों की सहमति के बाद ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और यूएसजी की सहायता से सिर का पानी व गांठें निकालकर मरीज को नया जीवन प्रदान किया। ऑपरेशन के दौरान डॉ. नितिन कौशिक, डॉ. मनोज अग्रवाल, डॉ. कपिल गर्ग तथा डॉ. मनोज का विशेष योगदान रहा।

'फेस्टिव ट्रीट्स 2.0' की पहुंच ग्रामीण भारत तक

उदयपुर (विज्ञप्ति)। एचडीएफसी बैंक ने अपने फेस्टिव ऑफर देश के दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाए। दिनेश त्यागी, सीईओ, सीएससी एसपीवी ने कहा कि बैंक ने भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) नेटवर्क द्वारा अपने वार्षिक फाईनेंशल सर्विसेस धमाका, 'फेस्टिव ट्रीट्स' का अर्द्धशहरी व ग्रामीण चरण शुरू किया। सीएससी के साथ नामांकित 1.2 लाख विलेज़ लेवल एंटरप्रेन्योर्स (वीएलई) के नेटवर्क द्वारा इन स्थानों के ग्राहकों को खास उनके लिए तैयार किए गए ऑफर मिलेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर कस्टमाईज़्ड डील्स प्रदान करने के लिए बैंक ने 3000 से ज्यादा हाईपरलोकल मर्चेंट्स व ट्रेडर्स का उपयोग किया है। ग्राहकों को परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, होम डेकोर एवं ज्वेलरी आदि समेत विभिन्न श्रेणियों में 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

प्रीमियम एसयूवी एमजी ग्लॉस्टर लॉन्च

उदयपुर (विज्ञप्ति)। एमजी मोटर इंडिया ने नई दिल्ली में एक्स-शोरूम 28.98 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर भारत की पहली ऑटोनोमस (लेवल 1) प्रीमियम एसयूवी एमजी ग्लॉस्टर लॉन्च की है। अपने एलिगेंट डिज़ाइन और सम्मोहक फीचर्स के साथ ग्लॉस्टर प्रीमियम और लग्जरी क्षेत्र में अपील करता है जो 25 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच का है। यह भारत में 4 फीचर-इंटेंसिव वैरिएंट में उपलब्ध होगा, यानी सुपर, स्मार्ट, शार्प और सेवी। इसमें शानदार कॉम्बिनेशन उपलब्ध होंगे- लग्जरीयस बकेट सीट्स (6-सीटर और 7-सीटर), टू-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव और ट्विन टर्बोचार्जड डीजल इंजन के साथ दो इंजन विकल्प शामिल हैं। 35.38 लाख की कीमत वाला सेवी ट्रिम अपने ऑटोनॉमस लेवल 1 फीचर्स एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से सक्षम है और लग्जरी और टेक्नोलॉजी का सही मिश्रण देता है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमैटिक पार्किंग असिस्ट और एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी शामिल हैं। एमजी मोटर ने हाल ही में 200 से अधिक आफ्टर-सेल्स सर्विस विकल्पों के साथ भारत का पहला पर्सनलाइज्ड कार ऑनरशिप प्रोग्राम 'माय एमजी शील्ड' पेश किया। ग्लॉस्टर एक स्टैंडर्ड 3 + 3 + 3 पैकेज के साथ आएगा यानी तीन साल / 100,000 किलोमीटर की वारंटी, तीन साल रोड साइड असिस्टेंस और तीन लेबर-फ्री पीरियॉडिक सर्विसेस।

अलख नयन मन्दिर द्वारा तीन नये प्राथमिक नेत्र चिकित्सा केन्द्रों का लोकार्पण

उदयपुर (विज्ञप्ति)। विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक और ऑपरेशन आईसाईट युनिवर्सल के साथ

अलख नयन मन्दिर ने उदयपुर जिले में तीन दृष्टि केन्द्रों की स्थापना की जो गोगुन्दा, सलूम्बर और वल्लभनगर में स्थित हैं। इन विजन केन्द्रों का लोकार्पण मुख्य अतिथि देहात जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष लालसिंह झाला द्वारा किया गया। इस अवसर पर अलख नयन मन्दिर आई हॉस्पीटल के मेडिकल डॉयरेक्टर डॉ. एल. एस. झाला, मेनेजिंग ट्रस्टी डॉ. लक्ष्मी झाला, ट्रस्टी मीनाक्षी चुण्ड़ावत सहित गोगुन्दा के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

डॉ. एल. एस. झाला ने बताया कि इन केन्द्रों से जरूरतमंद क्षेत्रों में नेत्र चिकित्सा सेवाओं में विस्तार किया जा सकेगा। इन केन्द्रों की स्थापना स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक की परिकल्पना 'सिंइग इज बिलिविंग' के तहत किया गया है। यह एक वैश्विक पहल है, जिसके तहत विश्व से अंधता के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ये विजन सेन्टर, सामुदायिक नेत्र स्वास्थ्य परियोजनाओं के क्रियान्वन के लिए एक केन्द्र होंगे, जिन्हें सामान्यत: रूप से 'विजन सेन्टर बेस्ड कम्युनिटी आई हेल्थ प्रोजेक्ट' के रूप में जाना जाता है। इसमें महिला समुदाय के नेत्र स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा एक व्यापक डोर-टू-डोर सर्वेक्षण शामिल होगा, जो आँखों की समस्याओं से पीड़ित लोगों की चिकित्सा करेगा और बड़े अस्पतालों में उन्हें उचित उपचार प्रदान हो ऐसा सुनिश्चित करेगा। अलख नयन मन्दिर, निर्धनतम लोगों के लिए उनके द्वार तक गुणवतापूर्ण नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। इस परियोजना के माध्यम से ऑपरेशन आईसाईट द्वारा पूरे भारत में 1000 से अधिक गाँवों को अब तक अंधता से मुक्त कराया जा चुका है।

डॉ. लक्ष्मी झाला ने बताया कि अलख नयन मन्दिर राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में से एक है। गत 23 वर्षों की अपनी सफल यात्रा में, अस्पताल ने 10 लाख से अधिक रोगियों को दृष्टि लाभ पहुंचाया है और 1 लाख से अधिक रोगियों की सर्जरी की है। अस्पताल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कच्ची बस्तियों में नेत्र स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाता है।

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए खुशहाली की सौगात

उदयपुर (विज्ञप्ति)। अमेज़न इंडिया ने 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले वार्षिक फेस्टिव इवेंट 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' के दौरान स्मॉल और मीडियम बिजनेस (एसएमबी) के लिए अवसर उपलब्ध कराया। लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न, कारीगर, सहेली, और लॉन्चपैड जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जयपुर, उदयपुर, जोधपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों और कई अन्य स्थानों के हजारों अमेज़न सेलर्स कस्टमर्स के लिए आकर्षक डील्स और ऑफ़र पेश करेंगे।

प्राइम मेम्बर 16 अक्टूबर से अर्ली एक्सेस का आनंद ले सकते हैं। फेस्टिव सीज़न की तैयारी में, अमेज़न ने भारत भर में 100,000 से अधिक अमेज़ॅन-एनेबल्ड लोकल शॉप्स, किरानों और नेबरहुड शॉप्स को सक्षम बनाया है, जो कस्टमर्स की सेवा कर उत्सव की खुशियां मनाने के लिए तैयार हैं। 20,000 से अधिक रिटेलर्स, 'लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न' प्रोग्राम की किराना और स्थानीय दुकानें अपने पहले 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' में भाग लेकर अपने शहरों और पूरे भारत में कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करेंगी।

प्रणव भसीन, डायरेक्टर, एमएसएमई और सेलर एक्सपीरियंस, अमेज़न इंडिया ने कहा कि इस फेस्टिव सीजन में, हम अपने सेलर्स और अन्य एमएसएमई पार्टनर्स की हाल की चुनौतियों से निपटने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

हमारा उद्देश्य फेस्टिव सीज़न के दौरान ग्राहकों की ज़रूरत की हर चीज़ को खोजने में उनकी मदद करना और उन्हें सुरक्षित रूप से डिलिवरी देना है। राजस्थान में हमारे 52,000 से अधिक सेलर्स हैं, जिन्हें इस फेस्टिव सीजन के दौरान देशभर के लाखों कस्टमर्स को अपने प्रॉडक्ट्स दिखाने का अवसर मिलेगा। हमें उम्मीद है कि यह ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हमारे सभी सेलर्स के लिए विकास और सफलता प्राप्त करेगा।

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में, अमेज़ॅन ने भारत भर के व्यवसायों में अपने कारोबार को शुरू करने या बढ़ाने के लिए अधिक रुचि देखी है। इसमें अमेजन डॉट इन पर रजिस्टर करने वाले नये सेलर्स में 60 से 80 प्रतिशत की वृद्धि दिखी है।

फेस्टिवल के हिस्से के रूप में कस्टमर्स अमेजन डॉट इन पर एक विशेष रूप से क्यूरेट किए गए स्टोर पर जा सकते हैं, जिसे 'ग्रेट इंडियन बाज़ार' कहा जाता है, जहाँ वे भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सेलर्स के प्रॉडक्ट्स का चयन करते हैं। कस्टमर्स एक राज्य का भी चयन कर सकते हैं, उस राज्य से अनूठे प्रॉडक्ट्स की जांच कर सकते हैं और उस प्रॉडक्ट को बेचने वाले सेलर के बारे में पढ़ सकते हैं।

टॉप ब्रांड्स जैसे सैमसंग, वनप्लस, ऐप्पल, बोट, जेबीएल, सोनी, सेन्हाइजर, डाबर, एलजी, आईएफबी, हाइसेंस, टाइटन, मैक्स फैशन, बीबा, स्पाईकर, पैनासोनिक, यूरेका फोर्ब्स, वॉशर, लक्मे, बिगमसल्स, कॉस्मिक बाइट, मैगी, टाइड, रियलमी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स, वेस्टलैंड, हार्पर, श्याओमी, ओप्पो, सान्यो, गोप्रो, ऑनर, बॉश, अमेजफिट, पीटर इंग्लैंड, लेवाइस, रिवर, अमेजन बेसिक्स, यूआरबीएन, बायोटिक, पैन मैकमिलन, कारमेट, बाइकब्लैज़र और अन्य कई 900 से अधिक नए प्रॉडक्ट लॉन्च हुए। अमेज़ॅन डिवाइसेस से नए लॉन्च में सभी नए अमेज़ॅन इको डॉट, इको डॉट विथ क्लॉक, अमेज़ॅन इको, दी फायर टीवी स्टिक और एलेक्सा वॉयस रिमोट लाइट के साथ फायर टीवी स्टिक लाइट शामिल हैं।

ग्राहक लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, फर्नीचर, हेडफोन, एयर प्यूरीफायर्स, टीवी, वाशिंग मशीन, डिशवॉशर जैसे बड़े एप्लायंसेज की खरीदारी, अपने घर में बैठे-बैठे कर सकते हैं।

कपिल श्रीमाली ने दिखाया ईमानदारी का आदर्श

उदयपुर (का. सं.)। उदयपुर में कार्यरत न्यूज 18 राजस्थान चैनल के ब्यूरोचीफ कपिल श्रीमाली के एकाउंट में 2 अक्टूबर को 50,000 रुपये की राशि क्रेडिट हो गई। यह राशि पंजाब निवासी एक व्यक्ति ने भूलवश जमा करवा दी थी।

उस व्यक्ति का साला उदयपुर में निवासरत है। वह व्यक्ति साले के खाते में पैसे डाल रहा था जिसके एकाउंट नम्बर का आखिरी अंक 07 था लेकिन उसने 01 टाइप कर दिया। यह एकाउंट कपिल श्रीमाली का था। राशि आते ही कपिल ने खुद उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया और उसे सूचित कर 15 मिनिट में ही कुल राशि पुन: उसके एकाउंट में ट्रांसफर कर दी। कपिल की इस ईमानदारी पर जार के स्थानीय शाखा अध्यक्ष डॉ. तुक्तक भानावत एवं सदस्यों ने बधाई देते कहा कि पत्रकार मात्र खबरों और संवादों का ही काम नहीं करता। मौका आने पर जहां वह आग से खेलता है वहीं ईमानदारीपूर्वक परमार्थ सेवा और सत्पथ का जागरूक सिपाही बन आदर्श भी प्रस्तुत करता है।

इस अवसर पर कपिल श्रीमाली ने लोगों से अपील की कि जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांसफर करें तो सतर्कता से करें। जिस खाते में ट्रांसफर करना है उसे ध्यान से देखें और फिर ही पूरी प्रक्रिया पूरी करें।

जैन कोविड होम आइसोलेशन सेवा का शुभारम्भ

उदयपुर (विज्ञप्ति)। वैश्विक महावारी कोविड -19 के रोगियों को राहत दिलाने के लिए जैन कोविड होम आइसोलेशन हेल्पलाइन सेवा का शुभारम्भ किया गया।

महावीर जैन परिषद के संयोजक राजकुमार फत्तावत ने बताया कि जैन कोविड होम आइसोलेशन कोरोना ग्रस्त रोगियों को राहत दिलाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। इस सेवा प्रकल्प के तहत कोविड ग्रस्त रोगियों को हेल्पलाइन के माध्यम से होम आइसोलेशन कोविड मरीज़ों और निकट सम्पर्क वाले व्यक्तियों को डॉक्टर द्वारा 10 दिन तक नियमित चिकित्सकीय परामर्श, होम आइसोलेशन किट व चिकित्सीय परामर्श से दवाइयाँ, भोजन व्यवस्था व अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन किट में पल्स ओक्सीमीटर, डिजीटल थर्मामीटर, मास्क 10, एंटीबायोटिक टेबलेट, आइवरमक्टिन टेबलेट, विटामिन सी-व जिंक टेबलेट, पेरासिटामोल टेबलेट, सस्वारीवटी, इकोस्पस्प्रीन एवं भाप केप्सूल दी जाएगी। इस अवसर पर महावीर युवा मंच संस्थान अध्यक्ष महेन्द्र तलेसरा, भारतीय जैन संघटना अध्यक्ष अभिषेक संचेती, उपाध्यक्ष मनीष गलुंडिया, कोषाध्यक्ष यशवन्त कोठारी, जैन जागृति सेन्टर के सुधीर जैन, हेमेन्द्र मेहता आदि मौजूद थे।

नवीनतम तकनीक द्वारा गीतांजली हॉस्पिटल में सफल ऑपरेशन

उदयपुर (विज्ञप्ति)। देश में आमतौर पर हार्ट डिजिजेज की एडवांस स्टेज को बेहद खतरनाक माना जाता है लेकिन आधुनिक चिकित्सकीय तकनीकों और चिकित्सकों के कौशल से गंभीर मरीजों को भी ठीक किया जा सकता है। इसका सटिक उदारहण देखने को मिला गीतांजली मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में। यहां 71 वर्षीय हार्ट पेशेंट को स्टेंट लगाकर अत्याधुनिक आई.वी.एल (इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी) तकनीक से ठीक किया गया जबकि पेशेंट के केस में अन्य निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने ओपन हार्ट सर्जरी का सुझाव दिया था लेकिन उम्र अधिक होने के कारण यह जोखिम भरा था। इस

सफल ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉ. रमेश पटेल, डॉ. कपिल भार्गव, डॉ. डैनी मंगलानी, डॉ. शलभ अग्रवाल, डॉ. संदीप. डॉ. शुभम तथा डॉ. अनिल पालीवाल का योगदान रहा।

कैसे-कैसे अजूबे विवाह (5)

अब तक आप भांति-भांति के अनूठे-अजूबे विवाहों के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहां पढ़िये उनसे आगे। पाठकों के पास इस सम्बन्धी कोई जानकारी हो तो उसका स्वागत रहेगा।

(37) उल्टे फेरे विवाह विच्छेद :

विवाह सूत्र में बंधने के पश्चात कभी-कभी पति-पत्नी के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है। ऐसी स्थिति में बेमन साथ-साथ जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। तब आपसी सहमति से दोनों एक-दूसरे से अपना वैवाहिक नाता तोड़ने के लिए जो सात फेरे लेकर विवाह रचाया था उससे विपरीत सीधे फेरे नहीं लेकर उल्टे यानी विपरीत फेरे लेकर सम्बन्ध विच्छेद करते हैं।

वर द्वारा चार तथा वधू द्वारा तीन फेरे सीधे लेकर जैसे विवाह विधि सम्पन्न होती है उसी तरह वर द्वारा चार तथा वधू द्वारा तीन उल्टे फेरे लेकर सम्बन्ध विच्छेद की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

(38) अन्यामन्या का अप्रत्याशित विवाह :

अपवाद स्वरूप ही सही पर ऐसा विवाह भी देखने को मिलता है जब वधू पक्ष की ओर से विवाह की सारी तैयारी की गई होती है। यथासमय सजधज कर बारात भी आ जाती है। बरातियों को सुव्यवस्थित जगह डेरा भी सुलभ करा दिया जाता है। उनकी अच्छी तरह से आवभगत कर विवाह के लिए चंवरी आदि भी तैयार की ली जाती है मगर एनवक्त उस दूल्हे की बजाय किसी अन्य दूल्हे को तैयार कर फेरे करवा दिये जाते हैं।

यह घटना मेवाड़ के कानोड़ ठिकाने में घटी। डॉ. महेन्द्र भानावत ने 1956 में घटी उस घटना को याद करते बताया कि वधू ओसवाल जैन समाज की थी। समाज के जागरूक युवकों को जब पता चला कि वधू का विवाह ऐसे अधेड़ व्यक्ति से होने जा रहा है जो वधू से लगभग चौगुनी उम्र अधिक लिये है। ऐसा विवाह लड़की के जीवन के साथ खिलवाड़ होकर समाज के लिए भी बहुत बड़ा कलंक समझ गांव के युवकों ने अहिंसात्मक अभियान के सहारे बड़े बुजुर्गों, मोतबीरों से गम्भीरतापूर्वक राय मशविरा किया और लड़की के शोभते ऐसे कुंवारे लड़के की तलाश करनी शुरू की जिससे फटाफट विवाह रचाया जा सके।

जब सबकी भावना शुद्ध होती है तो कहते हैं, ईश्वर भी नेक काम में सहायक होता है सो एक ऐसा परिवार चिन्हित कर उसे जगाया गया। आपसी सहमति से लड़के को विवाह के लिए राजी किया गया और लग्न के अनुसार चंवरी में उसका विवाह रचाया गया।

बाहर से जो बारात आई वह देवगढ़ के पास के कस्बे की थी। उसका विरोध करना स्वाभाविक था लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोई बारात विवाह के लिए पहुंचे और उसके साथ यदि ऐसी घटना घटे तो उसका हर दृष्टि से निराश और नाराज होना भी स्वाभाविक है सो बारात वाले अड़े रहे और दो दिन तक वहीं डेरा डाले रहे पर पूरे गांव के विरोध के आगे अन्ततोगत्वा बरातियों को पराजय का मुंह देखते चुपचाप लौट जाना पड़ा। इसे कहते हैं, 'हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आय।' वर पक्ष की ओर से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ और अन्यामन्या यानी सेंतमेंत में बहू घर आ गई।

(39) बहू का पुनर्विवाह :

बेटी का तो कई कारणों से पुनर्विवाह रचाया जाता है मगर बहू का सुसराल पक्ष द्वारा विवाह रचाने की घटना भी घटती पाई गई है। इसके अन्तर्गत ऐसे कई कारण होते हैं जब एक बहू का उसके सुसराल वाले योग्य लड़का देख राजीखुशी विवाह करा उसका खुशहाल जीवन बनाने में पूर्ण भागीदारी निभाते हैं।

इन कारणों में लड़के का बहू के अनुकूल नहीं होना, उसके द्वारा बहू को परेशान करना, परिवार का ठीक ढंग से पोषण नहीं करना, किसी अन्य लड़की से प्रेमाचार करना, प्रेम विवाह में बन्ध जाना, माता-पिता के अनुकूल सिद्ध नहीं होना जैसे कारण प्रमुख होते हैं।

बहुचर्चित सीरियल बालिका वधू में वधू आनन्दी का पति जग्या (जगत) बम्बई में अध्ययन के दौरान अपनी सहपाठी गौरी के प्रेमजाल में आसक्त हो उससे विवाह रचा लेता है तब आनन्दी को अपनी बेटी की तरह पालने वाले उसके सास-श्वसुर तथा अन्य परिजन किसी सुयोग्य लड़के की तलाश कर अन्त में उसी गांव के कलक्टर से पुनर्विवाह रचाकर आनन्दी के वैवाहिक जीवन की सुखद शुरूआत कर पूरे गांव के लिए आदर्श के रूप में नई मिशाल पेश करते हैं।

(40) मृत्यु के बाद विवाह :

मनुष्यों और वनस्पतियों के आपसी विवाह से भी मनुष्य को सन्तोष नहीं हुआ तो उसने मृतात्माओं तक को विवाह बन्धन में बान्ध लिया। पिछले जन्म की अतृप्त आकांक्षा के चलते लोकजीवन में ऐसे कई घटना-प्रसंग मिलते हैं जब अगले जन्म में वे आकांक्षाएं पूरी हुईं।

राजस्थान में लोकदेवता पाबूजी को लक्ष्मण का और सोढ़ी को शूर्पणखां की अवतार कहा जाता है। शूर्पणखां लक्ष्मण से विवाह रचाना चाहती थी। उसके इस प्रस्ताव को लक्ष्मण ने न केवल ठुकरा दिया अपितु उसके नाक-कान तक काट दिये। बाद में उसका पछतावा लक्ष्मण को हुआ कि यह दुष्कृत्य हुआ।

अगले जन्म में पाबूजी का विवाह सोढ़ी से होना निश्चित हुआ। चंवरी में उन्होंने तीन फेरे लिये थे कि उन्हें खबर मिली, देवल चारणी की गायें जिंदराव खींची ने घेरली हैं। यह सुनते ही पाबूजी उठ खड़े हुए। उन्होंने खींची से युद्ध किया और अपने प्राण गंवाये।

उल्लेखनीय है कि पाबूजी ने देवल चारणी से इस शर्त पर कालमी घोड़ी प्राप्त की थी कि यदि कोई उसकी गायें घेर ले जायेगा तो वे प्राण देकर भी पहले उसकी रक्षा करेंगे।

(41) गोध गधेड़ा विवाह :

भीलों में होली के अवसर पर गोध गधेड़ो नामक एक उत्सव का आयोजन होता है। इसमें ताड़ के वृक्ष पर या किसी चिकने खम्बे पर गुड़ और नारियल की एक पोटली बांध दी जाती है। इसके बाद लड़कियां इस वृक्ष को घेरकर खड़ी हो जाती हैं। लड़के वृक्ष के निकट जाकर पोटली को लाने का प्रयत्न करते हैं। इस दौरान लड़कियां लड़कों को झाड़ू से मार-मारकर रोकती हैं। जो लड़का साहस करके पोटली ले आता है, वही विजेता माना जाता है। विजेता को लड़कियों के घेरे में से अपनी पसंद की लड़की चुनने और उससे विवाह करने का अधिकार मिल जाता है।

(42) श्रमिक सिद्धी विवाह :

सिक्किम के लेपचाओ में सगाई के बाद वर को हर रोज अपना आधा समय अपने ससुराल वालों को देना पड़ता है। इस दौरान वर कन्या पक्ष के घर में रहकर एक नौकर की तरह सारा काम करता है और विभिन्न प्रकार के मजाक सहता रहता है। सगाई के बाद शुरू हुआ यह सिलसिला विवाह के दिन तक चलता है।

असम की कुकी जनजाति में वर को कुछ समय तक अपनी मंगेतर के यहां रहकर काम करना पड़ता है। यदि वर यह विवाह करने का विचार बदल दे, तो उसे ससुराल वालों को हर्जाना भी देना पड़ता है। नेपाल की जौनसारखासा, दक्षिण अमेरिका की किरपाया और बिनबागों और उत्तरी डकोटा की हिदास्ता जनजातियों में ऐसे रिवाज हैं।

(43) मारपीट विवाह :

आन्ध्रप्रदेश के कोंडारेड्डी आदिवासियों में विवाह का इच्छुक युवक अपनी भावी ससुराल में जाकर कन्या से हंसी-मजाक करता है और फिर उसे उठाकर अपने गांव की ओर भाग जाता है। कन्या पक्ष के लोग वर को भला-बुरा कहते हुए उसके पीछे-पीछे भागते हैं। वर के घर पहुंचकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और घूंसेबाजी होती है। काफी देर तक हंगामा होने के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच शान्ति-सुलह की बातें होने लगती हैं। अन्ततः, वर-वधू का विवाह सम्पन्न करा दिया जाता है।

(44) निराहारी विवाह :

आस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में विवाह के इच्छुक व्यक्ति को पूरे पन्द्रह दिनों तक लगातार कड़ी धूप में निराहार बैठना पड़ता है। इसके बाद ही उसे विवाह करने योग्य समझा जाता है।

(45) निशानी विवाह :

ब्रिटिश गुयाना में लड़के को चलती नौका में से एक निर्धारित स्थान पर तीर से निशाना लगाना पड़ता है। इस परीक्षा में पास होने के बाद ही उसे विवाह की स्वीकृति मिलती है।

(46) बिल्ली से विवाह :

कुछ पति गुस्से या मजाक में अपनी पत्नी को बिल्ली कह देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने सचमुच में बिल्ली को अपनी पत्नी बना लिया। जर्मनी का एक डाकिया अपनी पालतू बिल्ली से बहुत प्यार करता था। बिल्ली मोटापे और अस्थमा से पीड़ित थी। डॉक्टर ने बताया कि बीमार बिल्ली ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रहेगी। बिल्ली के प्यार में इस दीवाने ने उससे तुरन्त ब्याह रचाने का फैसला कर डाला।

मिट्जरलिक नाम के व्यक्ति ने बकायदा दूल्हे की ड्रेस पहनी और 15 साल की कैसिला नाम की इस बिल्ली को दुल्हन का सफेद-गुलाबी जोड़ा पहनाया। फिर ईसाई रीति-रिवाज से ब्याह रचा डाला। जर्मनी में जानवर से मनुष्य का शादी करना गैर कानूनी है।

इसलिए सरकारी अधिकारियों द्वारा इस शादी को रजिस्टर कराने से इनकार करने के बाद जर्मनी की एक टीवी कलाकार क्रिस्टिन मारिया लोहरी ने यह अनोखी शादी करवाई। मिट्जरलिक ने इसके लिए मारिया को 428 डॉलर (करीब 20 हजार रूपये) दिये। दूल्हे का जुड़वा भाई इस शादी का गवाह बना।

– दैनिक नवज्योति, 25 नवंबर 2010

(47) कागज पुतलों से विवाह :

मलेशया के पेनांग रिसोर्ट द्वीप में स्थित एक मन्दिर में मृतक लड़के-लड़की का विवाह कागज के बने पुतलों के रूप में कराया गया। मृतक दूल्हे का नाम ची यू कुवान था। दुल्हन का नाम चीह बेंग एंग था। दूल्हा बना लड़का 50 वर्ष पूर्व तथा दुल्हिन बनी लड़की 30 वर्ष पूर्व चल बसे जब दोनों किशोरावस्था में थे। विवाह का यह समारोह महीनेभर चला जो चीनी हंगरी घोस्ट के नाम से जाना जाता है।

दैनिक नवज्योति, 27 अगस्त 2008)

(48) गाजर का मटर से विवाह :

न्यूयार्क में शाकाहार को बढ़ावा देने और जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए मटर को वधू बनाकर गाजर बने दूल्हे से शानदार परेड के साथ विवाह रचाया गया। विवाह में शरीक लोगों ने शाकाहारी जीवन जीने का संकल्प लिया। अन्यों को भी प्रेरित किया।

– दैनिक नवज्योति, 20 मई 2008

(49) कुतिया से विवाह :

तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के मनामदुरै में सेल्वाकुमार (33) ने दस वर्षीय सेल्वी नामक कुतिया से ही विवाह रचाया। यह विवाह एक कुत्ते और कुत्ती की हत्या से चढ़े पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित स्वरूप गणेश मन्दिर में किया गया। साड़ी में लिपटी दुल्हन को गाजेबाजे के साथ लाया गया।

जब सेल्वाकुमार 18 वर्ष का था तब उसने अपने कुत्ते-कुत्ती की हत्या करदी। बाद में उसे ऐसा पक्षाघात हुआ कि वह अपना बायां हाथ-पांव नहीं हिला सका। उसे बहरापन भी आगया। किसी ज्योतिषी ने सलाह दी कि कुतिया से विवाह करने पर वह अभिशाप मुक्त हो जायेगा अतः उसने यह विवाह रचाया।

– दैनिक भास्कर, 13 नवंबर 2007

-शब्द रंजन टीम

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक डॉ. तुक्तक भानावत द्वारा 352, कृष्णपुरा, सेंटपॉल स्कूल के पास, उदयपुर - 313001 (राज.) से प्रकाशित एवं मुद्रक लोकेश कुमार आचार्य द्वारा मैसर्स पुकार प्रिंटिंग प्रेस 311-ए, चित्रकूट नगर, भुवाणा, उदयपुर (राज.) से मुद्रित। सम्पादक : रंजना भानावत। फोन : 0294-2429291, मोबाइल - 9414165391, Email : shabdranjanudr@gmail.com, drtuktakbhanawat@gmail.com, सर्व विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।